न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड़

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 50/2019 (75 एलआरए) रामसिंह. बनाम राजेस्थान सरकार

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2019/00062)

रामसिंह पिता नगसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रनायरा तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राजस्थान

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राजस्थान

..... रेस्सपोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश तहसीलदार गंगधार
दिनांक 22.10.2019 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 467/2019

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह।
2 रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय पैरोकार।

निर्णय

दिनांक : 30.12.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार गंगधार के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 467/2019 में पारित आदेश दिनांक 22.10.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगधार जिला झालावाड़ ने पटवारी हल्का रनायरा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को ग्राम रलायती की सरकारी भूमि खसरा नं. 230 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा किस्म ना.का. पर अतिक्रमी मानकर सोयाबीन व उड़द की फसल बोकर व चारा काट कर अतिक्रमी माना है। तथा अपीलांट के विरुद्ध पैनल्टी 468 रु. अधिरोपित कर एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2019 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया।

एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध संग्रह सार के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य हैं। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना है। अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी नहीं किया गया है और न ही नोटिस की विधिवत तामील ही कराई गई है। अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही कर सजा से दण्डित कर दिया है। अतः निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से निर्णय जेर अपील निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होते हुए भी गलत तौर से पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर कानूनी भूल की है। इस कारण भी निर्णय जेर अपील निरस्त होने योग्य है।

5 अपीलांट का विवादग्रस्त भूमि ग्राम रलायती की सरकारी भूमि खसरा नं. 230 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा इसके किसी भी भू–भाग पर नाजायज कब्जा नहीं रहा है। अपीलांट ने उक्त आराजी से अतिक्रमण छोड़ दिया है तथा जुर्माने की समस्त राशि जमा करवा दी है। इस कारण भी निर्णय जेर अपील निरस्त होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.10.2019 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट को एक माह (30 दिन) की सजा से दोष मुक्त फरमाये जाने की कृपा करें।

6 राजकीय पैरोकार ने बहस में कथन किया कि अपीलांट अतिक्रमी है। जिसको विधिवत तामील कराई जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था लेकिन अपीलांट नियत तारीख को उपस्थित नहीं होने पर विधि अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं हैं। अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि रेस्पोडेंट ने अपीलांट को नोटिस विधिवत तामील नहीं करवाया है व एक तरफा कार्यवाही करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। इसके अलावा अपीलांट का यह भी कथन है कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम रलायती की सरकारी भूमि खसरा नं. 230 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा इसके किसी भी भू–भाग पर नाजायज कब्जा नहीं रहा है। अपीलांट ने उक्त आराजी से अतिक्रमण छोड़ दिया है तथा जुर्माने की समस्त राशि जमा करवा दी है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है।

9 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अपीलांट को नोटिस दिनांक 14.10.19 को जारी किया गया है। जिसकी

तामील चस्पानगी से कराई है। लेकिन यह तामील किस दिनांक को करवाई है रिपोर्ट पर अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अतिक्रमण संबंधी पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें पटवारी हल्का रनायरा ने रिपोर्ट अंकित की है कि रामसिंह पुत्र नगसिंह राजपूत निवासी रनायरा ने खसरा नं. 230 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा में से 7 बीघा 10 बिस्वा पर सोयाबीन उड़द और चारा की फसल करके संवत 2076 में अतिक्रमण किया है। पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमण की रिपोर्ट या कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। अतः प्रकरण में बिना दस्तावेज के पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानना न्यायोचित नहीं हैं। पटवारी हल्का के बयानों में भी यह अंकन है कि अपीलांट का खसरा नं. 230 के रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा पर अतिक्रमण है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं हैं। अतः प्रकरण में पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने संबंधी निर्णय त्रुटिपूर्ण पाया जाता है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश जिसमें पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकार सिविल कारावास की एक माह (30 दिन) की सजा दी गई है उसे निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में अपीलांट को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः साक्ष्य ली जाकर विधि के प्रावधानों के अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

11 निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2019.12.30 19:54:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: